नियम 127 : प्राधिकरण के 1[कृत्य]

(i) प्राधिकरण का 2[कृत्य] होगा कि यह अवधारित करे कि क्या किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं;

(ii) प्राधिकरण का [कृत्य] होगा कि वह उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की पहचान करे जो माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर में कटौती के फायदे या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;

(iii) प्राधिकरण का यह [कृत्य] होगा कि–

(क) वह मूल्यों में कटौती का आदेश दें;

(ख) प्राधिकरण का यह [कृत्य] होगा कि वह मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित प्राप्तिकर्ता को वापिस करने का आदेश दे; या वसूली की रकम वापस नहीं की गई है, यथास्थिति उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापस की गई रकम पर दावा नहीं करता है या पहचान नहीं हुई है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में समान रूप से जमा करेगा।

(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति अधिरोपित करना; और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना।

[3][**(iv)** प्रत्येक तिमाही के समापन की 10 तारीख तक परिषद् को एक कार्य निष्पादित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 24/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा शब्द ''कर्तव्य'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022)

2 अधिसूचना क्रमांक 24/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा शब्द ''कर्तव्य'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022)

3 अधिसूचना क्रमांक 34/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा खंड (iv) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.09.2017)।